निष्पादन बजट वर्ष 2019-20

विभाग- महिला एवं बाल विकास विभाग

विभागाध्यक्ष- आयुक्त, महिला एवं बाल विकास्

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट अनुमान 2019-20	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	वास्तविक उपलब्धियाँ		टिप्पणियां
					भौतिक	वित्तीय	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	राज्य स्तरीय संसाधन केन्द्र एवं क्षेत्रीय महिला प्रशिक्षण केन्द्र	महिलाओं तथा बच्चों के कार्यक्रमों से संबंधित विषय पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना।	29967	1600 अधिकारियों/कर्मचारी को प्रशिक्षण दिया जायेगा।	576 अधिकारियों/ कर्मचारी को प्रशिक्षण	25178	
2.	महिला जागृति शिविर	महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों तथा उनके हित में चलाई जा रही शासकीय योजनाओं की जानकारी देना ।	47100	शिविरों के माध्यम से लगभग 8.50 लाख महिलाओं को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाना ।	2319 शिविर	42293	
3.	मुख्यमंत्री कन्यादान योजना	निर्धन परिवारों को कन्या के विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना	190000	8800 कन्याओं का विवाह कराया जायेगा	2944 कन्याओं का विवाह	171313	
4.	पूरक पोषण आहार कार्यक्रम/न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना	(अ) प्रदेश में महिलाओं एवं बच्चों में व्याप्त कुपोषण को दूर करने हेतु 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, शिशुवती महिलाओं को पूरक पोषण आहार उपलब्ध कराना ।	7762205	1. आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से 6 माह से 6 वर्ष आयु के बच्चों तथा गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं कुल 26.00 लाख हितग्राहियों को पूरक पोषणाहार प्रदाय किया जायेगा ।	2423390 लाभान्वित	6244799	
		(ब) कुपोषण मुक्ति अभियान अंतर्गत मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना, कार्यकर्ता सहायिका एवं अमले को प्रशिक्षण, आवश्यक उपकरण का प्रदाय		2. योजनांतर्गत 170000 गंभीर कुपोषित बच्चों को मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना से 1.34 लाख कुपोषित बच्चों को नवाजतन योजना से लाभान्वित किया जाता है।			

निष्पादन बजट वर्ष 2019-20

विभाग- महिला एवं बाल विकास विभाग

विभागाध्यक्ष- आयुक्त, महिला एवं बाल विकास

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट अनुमान 2019-20	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	वास्तविक उपलब्धियाँ		टिप्पणियां
					भौतिक	वित्तीय	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	सबला योजना अन्तर्गत किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषण आहार कार्यक्रम	11 से 14 वर्ष आयु की शाला त्यागी किशोरी बालिकाओं तथा 14 से 18 वर्ष की शाला जानेवाली/शालात्यागी किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषाहार उपलब्ध कराना तथा प्रशिक्षण आदि ।	374900	प्रदेश के 1.57 लाख किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषणाहार प्रदाय ।	15190 लाभान्वित	140104	
6.	कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को मानदेय	आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को मानदेय प्रदान करना	1751900	लगभग 97000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिकाओं व अतिरिक्त कार्यकर्ताओं को मानदेय प्रदाय	97000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिकाओं व अतिरिक्त कार्यकर्ताओं को मानदेय	1741379	
7.	महिला पुलिस स्वयं सेवक	गांव में महिला पुलिस वोंटियरों की नियुक्ति	90000	दुर्ग एवं कोरिया जिले के गांव में लगभग 9032 महिला पुलिस वालेंटियरों की नियुक्ति किया जायेगा।	4568 महिला पुलिस वालेंटियरों की नियुक्ति	44544	
8.	महिला कोष का गठन महिला स्व-सहायता समूहों हेतु ऋण योजना	इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिला स्व-सहायता समूहों को आसान शर्तो पर ऋण उपलब्ध कराते हुए उन्हें वित्तीय प्रबंध व व्यापारिक आय उपार्जन गतिविधियों के लिये सशक्त बनाया हैं ।	20000	छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा संचालित स्वसहायता समूहों के लिए ऋण योजना अंतर्गत राज्य सहायता दर पर 3740 स्व-सहायता समूहों को ऋण उपलब्ध कराया जायेगा तथा 945 महिलाओं को सक्षम एवं स्वालंबन योजना के अंतर्गत सहायता दी जायेगी ।	ऋण योजना-777 सक्षम-163 स्वालंबन-505	10400	

निष्पादन बजट वर्ष 2019-20

विभाग- महिला एवं बाल विकास विभाग

विभागाध्यक्ष- आयुक्त, महिला एवं बाल विकास्

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट अनुमान 2019-20	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	वास्तविक उपलब्धियाँ		टिप्पणियां
					भौतिक	वित्तीय	
1	2	3	4	5	6	7	8
9.	आंगनवाड़ी केन्द्रों का उन्नयन तथा ई. सी.सी.ई घटक	आंगनवाड़ी केन्द्रों को ई.सी.सी.ई. पाठ्यक्रम को लागू करने तथा संसाधन युक्त बनाना	149300	ई.सी.सी.ई पाठ्यक्रम को लागू करने प्रशिक्षण आदि बच्चों हेतु 3500 आं.बा. केन्द्रों को उन्नयन किये जाने हेतु आवश्यक सामग्री, फर्नीचर, डिस्प्लेबोर्ड आदि का प्रदाय, कुपोषण का आकलन करने में सक्षम तथा अन्य इलेक्ट्रानिक भार मापन यंत्र का प्रदाय ।	भौतिक सत्यापन संभव नही है ।	125538	
10.	आंगनबाड़ी केन्द्रो का सुधार एवं निर्माण	बाल विकास सेवा योजना अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रो का निर्माण एवं उन्नयन	290000	200 आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण व 2500 आंगनबाड़ी भवनों का उन्नयन	2000 कार्य	290000	
11.	महतारी जतन योजना	गर्भवती महिलाओं को आंगनबाड़ी केन्द्रो में गर्म भोजन का प्रदाय	235540	लगभग 2.50 लाख गर्भवती महिलाओं को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य	458948 लाभान्वित	223961	
12.	मुख्यमंत्री अमृत योजना	राज्य के आंगनवाड़ी केन्द्रो में 3 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों को दूध वितरण करना	210650	10.00 लाख बच्चों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य	729317 लाभान्वित	187388	
13.	शुचिता योजना	किशोरी बालिकाओं को सेनेटरी नेफकीन प्रदाय किया जाना	20000	किशोरी बालिकाओं को सेनेटरी नेपकीन प्रदाय हेतु लगभग 1428 वेंडिग मशीन लगाया जायेगा।	-		
14.	दिशा दर्शन	महिला समूहों को उत्कृष्ट कार्यो/अर्थोपार्जन गतिविधियों का अध्ययन भ्रमण कराना	15000	4700 महिलाओं को लाभन्वित किये जाने का लक्ष्य	2519 लाभन्वित	13565	

निष्पादन बजट वर्ष 2019-20

विभाग- महिला एवं बाल विकास विभाग

विभागाध्यक्ष- आयुक्त, महिला एवं बाल विकास

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट अनुमान 2019-20	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	वास्तविक उपलब्धियाँ		टिप्पणियां
					भौतिक	वित्तीय	
1	2	3	4	5	6	7	8
15.	स्वाधार गृह का संचालन	संकटग्रस्त महिलाओं के लिए स्वधार गृह/अल्पकालीन आवास गृह के संचालन के लिए अनुदान संस्थओं को सीधे दिया जाना	8040	प्रतिवर्ष लगभग 655 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं को सेवानिवृत्ति पर सम्मान निधि प्रदाय किया जायेगा ।	216 महिला एवं 56 बच्चें	8579	
16.	आंगनबाड़ीओं/सहायिकाओं को हितलाभ	आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं को सेवानिवृत्ति पर सम्मान निधि प्रदान करना	10000	प्रतिवर्ष लगभग 655 आंगनबाड़ी कार्यकताओं/सहायिकाओं को सेवा निवृत्ति पर सम्मान निधि प्रदाय किया जायेगा।	-		
17.	प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना	गर्भवती व शिशुवती महिलाओं को नगद राशि प्रदाय किया जाना	706640	1.00 लाख महिलाओं को लाभन्वित करने का लक्ष्य	385156 लाभान्वित	389169	
18.	एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण	पर्यवेक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं साहिकाओं को प्रशिक्षित करना	129100	28000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा	6695 को प्रशिक्षण	59855	
19.	किशोर न्याय निधि	बाल देखरेख संस्थाओं का संचालन एवं स्थापना, विधिक सहायता, समर्थन का सुदृढ़ीकरण बालकों का पुनर्वास एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण	5000	बाल देखरेख संस्थाओं का संचालन एवं स्थापना, विधिक सहायता समर्थन का सुदृढ़ीकरण, बालकों का पुनर्वास एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जाना।	-		